विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 11 फरवरी, 2010 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 38वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की अड़तीसवीं (38वीं) बैठक श्री राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 11 फरवरी, 2010 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 571 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 348 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि एसईजेड में 1,28,385 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 4,90,358 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली 3 तिमाहियों के दौरान, एसईजेड से लगभग 1,51,786 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है।

मद संख्या 38.1 और 38.2 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. बर्गुर, उठानगरई एवं पोचमपल्ली तालुक, कृष्णागिरी जिला, तमिलनाडु में 153.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्रेनाइट प्रसंस्करण उद्योगों तथा संबद्ध मशीनरी / विनिर्माण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (सिपकॉट) का अनुरोध (मद संख्या 38.1 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने बर्गुर, उठानगरई एवं पोचमपल्ली तालुक, कृष्णागिरी जिला, तमिलनाडु में 153.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्रेनाइट प्रसंस्करण उद्योगों तथा संबद्ध मशीनरी / विनिर्माण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (सिपकॉट) के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. ग्राम बोरी, तालुक एवं जिला नागपुर, महाराष्ट्र में 43.26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूजेड) स्थापित करने के लिए मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 38.1 - क्रमांक iv) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम बोरी, तालुक एवं जिला नागपुर, महाराष्ट्र में 43.26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूजेड) स्थापित करने के लिए मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड के अनुरोध को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. कालमसेरी, कोच्चि, केरल में 28.32 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ब्लूस्टार रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 38.1 - क्रमांक vii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी इस शर्त के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की है कि विकासक को 6 अक्टूबर 2008 को जारी की गई संशोधित राज्य एसईजेड नीति में उल्लिखित शर्तों तथा केरल के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11 अगस्त 2009 का भी पालन करना होगा। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कालमसेरी, कोच्चि, केरल में 28.32 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ब्लूस्टार रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. चिल्लाकुर मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में 1023 के क्षेत्रफल में मैसर्स कृष्णापट्टनम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध (मद संख्या 37.2 – क्रमांक i) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड ने चिल्लाकुर मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में 1023 के क्षेत्रफल में मैसर्स कृष्णापट्टनम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

(ख) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. चिकबलपुरा, कर्नाटक में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ओजोन एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 38.1 - क्रमांक i) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने चिकबलपुरा, कर्नाटक में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ओजोन एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. ग्राम सांडे लवगान, जयगढ़ के पास, जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र में 120 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पोर्ट आधारित इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स चौगुले पोर्ट एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 38.1 - क्रमांक iii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम सांडे लवगान, जयगढ़ के पास, जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र में 120 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पोर्ट आधारित इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स चौगुले पोर्ट एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. तूतीकोरीन, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स स्मार्ट वर्ल्ड सिटी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 38.1 - क्रमांक v) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने तूतीकोरीन, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स स्मार्ट वर्ल्ड सिटी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. भंधाई, मेघापार कुंजीसर, भचाऊ, कच्छ जिला, गुजरात में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में प्लास्टिक एवं प्लास्टिक उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स प्लास्टीन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 38.1 - क्रमांक vi) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने भंधाई, मेघापार कुंजीसर, भचाऊ, कच्छ जिला, गुजरात में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में प्लास्टिक एवं प्लास्टिक उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स प्लास्टीन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. नवी मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र में 277 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पोर्ट आधारित बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) का अनुरोध (मद संख्या 38.1 - क्रमांक viii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है, हालांकि राज्य सरकार की सिफारिश की प्रतीक्षा की जा रही है। इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि जेएनपीटी पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट में से एक है, अनुमोदन बोर्ड ने नवी मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र में 277 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पोर्ट आधारित बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) के अनुरोध को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि मौजूदा पोर्ट एसईजेड का हिस्सा नहीं होगा।

6. सदासिवपेट, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सामरिक विनिर्माण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स श्री कुबेर इनफ्राकाम इंडिया लिमिटेड का अनुरोध (सारणी एजेंडा की मद संख्या 38.1, क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सदाशिवपेट, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में सामरिक विनिर्माण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स श्री कुबेर इंफ्राटेक इंडिया लिमिटेड को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि एसईजेड के औपचारिक रूप से अनुमोदित एवं अधिसूचित होने से पूर्व रक्षा मंत्रालय के इनपुट प्राप्त किए जाने चाहिए।

मद संख्या 37.3 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेंमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह नीचे उल्लिखित सह विकासकों के सभी मामलों पर लागू है :

(i) पाजीरू, कैरांगलस, मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स लीला लेस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने कहा कि एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए 2007 में केआईएडीबी द्वारा मैसर्स लीला लेस होल्डिंग्स को पट्टे पर भूमि प्रदान की गई थी। केआईएडीबी द्वारा भूमि का परकीयाकरण सीमित अवधि में परियोजना के निर्माण की कुछ शर्तों के अधीन भी होगा। चूंकि मैसर्स लीला लेस होल्डिंग्स को यूनिट के रूप में भूमि पट्टा पर दी गई थी इसलिए उन्हें सह विकासक के रूप में अनुमोदित नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि मैसर्स लीला लेस होल्डिंग्स को यूनिट के रूप में भूमि आवंटित नहीं की गई है। अत: सीबीडीटी का विरोध सही नहीं है। इसके बाद निर्णय लिया गया कि फाइल पर प्रस्ताव की जांच की जाएगी।

(ii) कोकापेट गांव, राजेंद्रनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सी-बे इंफोटेक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कोकापेट गांव, राजेंद्रनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 2.598 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स सी-बे इंफोटेक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में दूर संचार नेटवर्क तथा डाटा पारेषण अवसंरचना के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iv) मैसर्स डॉ. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डॉ. फ्रेश हेल्थ एसईजेड फेज 1 प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स डॉ. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 1.16 हेक्टेयर के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स डॉ. फ्रेश हेल्थ एसईजेड फेज 1 प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(v) मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा कलवारा गांव, सांगनेर तहसील, जयपुर जिला, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इनफिनिटी जयपुर नालेज सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कलवारा गांव, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में तीन भवनों में फैले 3.85 लाख वर्गफीट के सुपर स्ट्रक्चर एरिया तथा एसईजेड में संगत यूटिलिटीज एवं कार पार्किंग के लिए बेसमेंट के अतिरिक्त क्षेत्रफल के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए मैसर्स इनफिनिटी जयपुर नालेज सिटी पार्क लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(vi) मैसर्स मंगलौर एसईजेड लिमिटेड बैकमपैडी, मंगलौर के पास, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में फार्मास्युटिकल तथा पेट्रोलियम के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) का अनुरोध

सीबीईसी के प्रतिनिधि ने कहा कि विकास आयुक्त द्वारा यूनिट के रूप में आईएसपीआरएल का अनुमोदन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वे यूनिट के रूप में बाध्यताएं पूरी नहीं कर सकेंगे। सह विकासक

के रूप में संगठन की भूमिका तथा उनके निर्यात की गतिविधियां स्पष्ट नहीं हैं। चूंकि राजस्व विभाग द्वारा उठाए गए मुद्दों का अभी तक समाधान नहीं हुआ है, इसलिए वे प्रस्ताव का समर्थन करने के पक्ष में नहीं हैं। राजस्व विभाग का ध्यान इस तथ्य की ओर लाया गया कि एसईजेड के अस्तित्व में आने से पहले वर्तमान साइट की पहचान की गई थी तथा सुविधा को शिफ्ट करना या निर्धारित करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा विकासक द्वारा एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के प्रयोजनार्थ चिह्नित भूमि में से 100 एकड़ में सह विकासक एसईजेड के अंदर सुविधा स्थापित करेगा। चूंकि आईएसपीआरएल द्वारा प्रस्तावित गतिविधि एफटीडब्ल्यूजेड के अंतर्गत अधिकृत प्रचालन है, इसलिए सह विकासक के रूप में मंजूरी प्रदान न करने का कोई कारण नहीं है। विचार विमर्श के बाद, यह देखते हुए कि सुविधा राष्ट्रीय सामरिक महत्व की है, निर्णय लिया गया कि निर्णय लेने के लिए मामले की फाइल पर जांच की जाएगी।

(vii) मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा पल्लीपुरम गांव, चेरटाला तालुक, अलप्पुझा जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इनफो पार्क्स केरल का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने पल्लीपुरम गांव, चेरटाला तालुक, अलप्पुझा जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 3.6423 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में संगत सुविधाओं के साथ आईटी अवसंरचना के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स इनफो पार्क्स केरल के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(viii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सीबीईसी के प्रतिनधि ने कहा कि एसईजेड में पहले से ही 10 सीएफएस हैं। एक अन्य सीएफएस के लिए औचित्य डीटीए कार्गो के लिए कार्गो की गतिविधि में वृद्धि के कारण है न कि एसईजेड कार्गो के कारण। डीटीए कार्गो के लिए एक अन्य सीएफएस की आवश्यकता हो सकती है। बताया गया कि यह बहुत बड़ा एसईजेड है तथा एसईजेड कार्गो के निर्मित होने की मात्रा काफी होगी। इसके अलावा मुंद्रा बंदरगाह अगले दो वर्षों में अपनी कंटेनर हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि करने जा रहा है जिससे अतिरिक्त सीएफएस क्षमता का सृजन करने की आवश्यकता होगी। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि उपलब्ध कराए जाने के लिए संभावित कार्गो का मूल्यांकन किया जाएगा तथा फाइल पर प्रस्ताव की जांच की जा सकती है।

(ix) मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा उत्तर बंगलौर तालुक, कर्नाटक में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स कार्ले ओ एंड एम सर्विसेज का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उत्तर बंगलौर तालुक, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में

संपूर्ण एसईजेड में प्रचालन एवं अनुरक्षण की सेवाएं प्रदान करने के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स कार्ले ओ एंड एम सर्विसेज के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 38.4 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत प्रचालनों के प्रस्तावों पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान करते समय ये 24 अक्टूबर 2008 को आयोजित ईजीओएम बैठक द्वारा अनुमोदित विकास दिशानिर्देश के अधीन थे जिन्हें 8 दिसंबर 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा नोट किया गया। तद्नुसार, विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकृत प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

(i) मैसर्स एनएसएल एससईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईडीए उप्पल औद्योगिक विकास क्षेत्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स टॉपनोच प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लिखित के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्रम संख्या	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	**अनुमोदित मात्रा** (वर्गमीटर में)
1.	सर्विस अपार्टमेंट 300 यूनिटें	20,000	20,000
2.	व्यवसाय केन्द्र	5000	5000
3.	फूड कोर्ट	10,000	5000
4.	वाणिज्यिक	22,000	5000
5.	पार्क के साथ मनोरंजन क्षेत्र, स्नैक्स कियोस्क, क्लब, मल्टी स्पेशियलिटी जिम, इंडोर और आउटडोर मल्टी मीडिया स्क्रीनिंग की सुविधाएं, रिटेल	25,000	10000 (केवल खुला स्थान कोई मल्टीप्लेक्स अनुमत नहीं है)

(ii) सिरूसेरी और एगाट्टूर, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्रम संख्या	**अधिकृत प्रचालन**	**अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)**	**अनुमोदित मात्रा** (वर्गमीटर में)
1.	एटीएम के लिए स्थान	36.88	36.88

(iii) रणस्थलम मंडल, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल इनग्रेडियंट्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डा. रेड्डी लैबोरेटरीज का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लिखित के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्रम संख्या	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा	अनुमोदित मात्रा
1	संपर्क सेतु का निर्माण	60 मीटर लंबा तथा 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल	अनुमोदित नहीं किया गया
2	सेतु पर जाने के लिए संपर्क सड़क	500 मीटर लंबा तथा 3500 वर्गमीटर क्षेत्रफल	अनुमोदित नहीं किया गया
3	एसईजेड की इंजीनियरिंग अनुरक्षण बिल्डिंग	432 वर्गमीटर	432 वर्गमीटर
4	प्रशासनिक भवन जिसमें ओएचसी, क्रेच शामिल हैं	1000 वर्गमीटर	1000 वर्गमीटर
5	क्यू सी ब्लॉक	360 वर्गमीटर	360 वर्गमीटर
6	बॉयलर, डीजी सेट, हॉट ऑयल यूनिट, कंप्रेसर, चिल्ड वाटर, चिल्ड ब्राइन, एयर कंप्रेसर एंड इंस्ट्रूमेंट एयर, ब्रीदिंग एयर, नाइट्रोजन प्लांट के लिए यूटिलिटी बिल्डिंग	1200 वर्गमीटर	1200 वर्गमीटर
7	सेंट्रल वेयरहाउस बिल्डिंग	3000 वर्गमीटर	3000 वर्गमीटर
8	साझा उपकरण यार्ड	1500 वर्गमीटर	1500 वर्गमीटर
9	साझा प्रोसेस कूलिंग टावर	3000 टीआर 200000 वर्गमीटर	3000 टीआर 200000 वर्गमीटर
10	एसआरपी कूलिंग टावर	350000 वर्गमीटर	350000 वर्गमीटर
11	सीसीओई टैंक फार्म, गैर सीसीओई टैंक फार्म तथा एफओ, डीजल एवं बायो डीजल भंडारण टैंक केमिकल बल्क स्टोरेज टैंक फार्म, केमिकल ड्रम स्टोरेज, फ्रेश सोल्यूशन / केमिकल ड्रम स्टोरेज, हानिकर ड्रम स्टोरेज टैंक और सिलिंडर स्टोरेज, ड्रम डिटाक्सीफिकेशन	4+8+2+1 456 वर्गमीटर 1277 वर्गमीटर	4+8+2+1 456 वर्गमीटर 1277 वर्गमीटर

	एरिया		
12	सॉलिड फ्यूल फायर्ड बॉयलर के माध्यम से स्टीम का उत्पादन एवं वितरण	10 टन प्रति घंटा 1	10 टन प्रति घंटा 1
13	एफओ बर्न्ड बॉयलर के माध्यम से स्टीम का उत्पादन एवं वितरण	10 टन प्रति घंटा 1	10 टन प्रति घंटा 1
14	चिल्ड ब्राइन सिस्टम चिल्ड वाटर सिस्टम	200 टीआर - 1 400 टीआर - 1	200 टीआर - 1 400 टीआर - 1
15	कंप्रेस्ड एयर का उत्पादन एवं वितरण	350 सामान्य घनमीटर प्रति घंटा	350 सामान्य घनमीटर प्रति घंटा
16	कॉमन ब्रीथिंग एयर यूनिट	100 सीएफएम	100 सीएफएम
17	तोल सेतु उपलब्ध कराना	100 टन	100 टन

(iv) महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा जयपुर, राजस्थान में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इनफोसिस बीपीओ लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्रम संख्या	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा	अनुमोदित मात्रा
1.	एटीएम के लिए स्थान	10 वर्गमीटर	10 वर्गमीटर

(v) चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्रम संख्या	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा	अनुमोदित मात्रा
1.	एटीएम के लिए स्थान	500 वर्गमीटर	10 वर्गमीटर

(vi) तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने बताया कि एसईजेड से 5 से 10 किलोमीटर की परिधि में 5 फाइव स्टार होटल स्थित हैं तथा 5 और होटल बन रहे हैं, इसलिए वे एसईजेड में एक और होटल के निर्माण की सिफारिश नहीं करते हैं। विकास आयुक्त, आईटी / आईटीईएस में भी होटल की सिफारिश नहीं की है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि तमिलनाडु सरकार ने ट्रिल को दिए गए प्लाट को इस शर्त के अधीन वापस ले लिया है कि आईटी एसईजेड की स्थापना एक इंटीग्रेटेड कनवेंशन सेंटर तथा फाइव स्टार होटल के साथ की जाएगी। तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि ने इंटीग्रेटेड कनवेंशन सेंटर तथा होटल के प्रस्ताव का समर्थन किया। विकास आयुक्त, आईटी / आईटीईएस ने बताया कि कनवेंशन सेंटर का समर्थन किया जा सकता है। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा संयुक्त सचिव (एएम) को साइट का दौरा करने तथा अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

(vii) गचिबाउली गांव, सेरींगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एलएंडटी फिनिक्स इनफोपार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

आवासीय अपार्टमेंट तथा सर्विस अपार्टमेंट के लिए मंजूरी प्रदान करते समय अनुमोदन बोर्ड ने यह शर्त रखी है कि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में इनका क्षेत्रफल 30000 वर्गफीट या एफएआर के रूप में 100 प्रतिशत रखते हुए फ्लोर स्पेस का 60 प्रतिशत, जो भी कम हो, होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एसईजेड हैदराबाद के महानगरीय क्षेत्र में स्थित है, अनुमोदन बोर्ड ने होटल रूम तथा क्लब हाउस स्थापित करने के लिए प्रस्तावित अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान नहीं की। यह भी नोट किया गया कि विकासक द्वारा अन्य अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध की गई मात्रा बहुत अधिक है। तद्नुसार, विकास आयुक्त, वीएसईजेड तथा विकास आयुक्त, आईटी / आईटीईएस को निरीक्षण करने तथा अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

(viii) तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सीसीसीएल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने अपनी इस धारणा के आधार पर प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त की कि पैकेजिंग सेंटर अवसंरचना की बजाय सेवाएं प्रदान करने वाला होगा और इसलिए विकासक के स्थान पर किसी यूनिट द्वारा अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए मंजूरी प्रदान करना उपयुक्त होगा। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने कहा कि अधिकृत प्रचालनों की प्रकृति अवसंरचना जैसी है क्योंकि इस सुविधा का प्रयोग सामान्य पैकेजिंग सेंटर के रूप में किया जाएगा जहां यूनिटें अपनी पैकेजिंग सामग्री लाएंगी और सामग्रियों की पैकिंग कराएंगी तथा सुविधा का प्रयोग करेंगी। विकासक इस मद में किसी प्रभार की वसूली नहीं करेगा। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक अवसंरचना की स्थापना को छोड़कर किसी लाभ का दावा नहीं करेगा।

क्रम	**अधिकृत प्रचालन**	**अनुरोध की गई मात्रा**	**अनुमोदित मात्रा**

संख्या		(वर्गमीटर में)	(वर्गमीटर में)
1.	पैकेजिंग सेंटर	10000	10000
2.	ईंधन / डीजल पंप	500	500

(ix) कीरांथम गांव, कोयंबटूर (उत्तर) तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लिखित के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्रम संख्या	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन तथा बैंकिंग की सुविधाएं	10,000	300
2.	व्यवसाय और सम्मेलन केन्द्र	5,000	500
3.	स्कूल / शैक्षिक संस्थाएं	1,000	1,000
4.	अतिथि गृह (प्रत्येक 40 वर्गमीटर की 25 यूनिटें)	1,000	1,000

(x) कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक यह प्रदर्शित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करेगा कि उन्होंने तमिलनाडु समुद्री बोर्ड से 20 साल की अवधि के लिए वाटर फ्रंट का प्रयोग करने के लिए अनुमति प्राप्त की है :

क्रम संख्या	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा	अनुमोदित मात्रा
1.	शिप उठाने की सुविधा	86,697 वर्गमीटर	86,697 वर्गमीटर
2.	तरंग रोध	3.5 किलोमीटर लंबाई	3.5 किलोमीटर लंबाई
3.	स्थल निर्माण एवं भूमि उद्धार		
	1. भूमि उद्धार	7 मिलियन घन मीटर	7 मिलियन घन मीटर

	2. तलमार्जन	8.25 मिलियन घन मीटर	8.25 मिलियन घन मीटर
4.	फैक्ट्री शेड	52,978 वर्गमीटर	52,978 वर्गमीटर
5.	निम्नलिखित को शामिल करने के लिए भवनों का निर्माण :		
	1. स्टाफ / मजदूर कैंटीन - 3500 वर्गमीटर	20,407 वर्गमीटर	20,407 वर्गमीटर
	2. प्रशासनिक ब्लॉक – 3000 वर्गमीटर		
	3. चिकित्सा केंद्र – 400 वर्गमीटर		
	4. सुरक्षा - 225 वर्ग मीटर		
	5. गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला - 360 वर्ग मीटर		
	6. फायर स्टेशन - 300 वर्गमीटर		
	7. इलेक्ट्रिकल शॉप / अन्य सब स्टेशन तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट - 12622 वर्गमीटर		
6.	यूटिलिटीज		
	1. ऑयल वेस्ट लिक्विड डिस्पोजल सिस्टम	30,000 वर्गमीटर	30,000 वर्गमीटर
	2. रेल संपर्क		
	3. प्रदूषण नियंत्रण की सुविधाएं		
	4. आवास (लगभग 100 मकान)		
	5. कान्फ्रेंस हाल		
	6. तुला ब्रिज		
7.	ओपन स्टोरेज यार्ड		-
	1. तुला ब्रिज क्षेत्र	10,425 वर्गमीटर	10,425 वर्गमीटर -
	2. प्लेट स्टक यार्ड		
	3. स्क्रैप यार्ड		
	4. कार पार्किंग एरिया		
	5. ठेकेदार क्षेत्र		
	6. ट्रांसपार्टर पार्किंग एरिया		
	7. एंकर चेन केबल टेस्टिंग बे		
	8. ट्रंकिंग का भंडारण		
8.	सीपीसीएल / सीडब्ल्यूडीएल की सुविधा के स्थान में	1500 मीटर को हटाना तथा स्थान में परिवर्तन	1500 मीटर को हटाना तथा स्थान

	परिवर्तन	करना	में परिवर्तन करना

(xi) गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मायर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा नोट किया कि यह एसईजेड हरियाणा के सोहना जिले में स्थित है तथा गुड़गांव से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। चूंकि गुड़गांव से आना और जाना संभव नहीं है और चूंकि आसपास के क्षेत्र में कोई अन्य होटल आवास उपलब्ध नहीं है इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्रम संख्या	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	अतिथि गृह / सर्विस अपार्टमेंट	37000	एफएआर के रूप में 100 प्रतिशत रखते हुए गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 10000 वर्गमीटर या फ्लोर स्पेस का 55 प्रतिशत, जो भी कम हो।

(xii) मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड का अनुरोध [पूरक एजेंडा की मद संख्या 38.3(i)]

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लिखित के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्रम संख्या	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (एकड़ में)	अनुमोदित मात्रा (एकड़ में)
1.	निम्नलिखित यांत्रिक प्रणाली की स्थापना :		
(i)	5x270 मेगावाट का कोयला आधारित बॉयलर, टर्बाइन, जेनरेटर (बीटीजी) सेट तथा इनकी सहयोगी यूनिटें जिसमें बॉयलर फीड सिस्टम, कंडेंसर, कंडसेंट एक्सट्रैक्शन पंप, एचपी / एलपी हीटर्स, कोल मील्स एंड	52	52

	आरसी फीडर्स, कोल बंकर, आईडी / एफडी / पीए फैन, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर्स तथा आटो कंट्रोल सिस्टम आदि शामिल हैं।		
(ii)	कोल हैंडलिंग सिस्टम जिसमें वैगन टिपलर, साइड आर्म चार्जर, विब्रो फीडर, क्रशर्स, स्टैकर सह रिक्लेमर, कनवेयर सिस्टम, डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम, रेलवे मार्शलिंग यार्ड आदि शामिल हैं।	70	70
(iii)	ऐश हैंडलिंग सिस्टम जिसमें ऐश स्लरी पंप, कलेक्टर टैंक, हाई कंसंट्रेशन स्लरी डिस्पोजल (एचसीएसडी) सिस्टम, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, ऐश स्लरी पाइप लाइंस, सूखी उड़न राख के निस्तारण के लिए ऐश सिलोज तथा मिल रिजेक्ट सिस्टम शामिल हैं।	9	9
(iv)	जल शोधन संयंत्र जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : 1. शोधन पूर्व संयंत्र (क्लैरीफिकेशन सिस्टम, केमिकल हाउस, क्लैरीफ्लोकुलेटर, क्लैरीफाइड वाटर स्टोरेज टैंक, पीटी पंप, संबद्ध ड्राइव, टैंक आदि) 2. डीएम प्लांट (सक्रिय कार्बन फिल्अर, काशन / एनियन / मिक्स्ड बेड एक्सचेंजर, डीगैसीफायर टावर, डीएम वाटर स्टोरेज टैंक, डीएम पंप, संबद्ध ड्राइव, टैंक आदि)	3.5	3.5
(v)	सीडब्लयू / एसीडब्ल्यू पंप, सीडब्ल्यू पाइपिंग, बटरफ्लाई वाल्व और आरई ज्वाइंट, सीडब्ल्यू ट्रीटमेंट और क्लोरिनेशन सिस्टम, कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट (सीपीयू)	5	5
(vi)	रा वाटर पंपिंग सिस्टम जिसमें पंप, एसटीपी से पाइपिंग लाइन, पंप हाउस, 33 केवी के लाइन तथा सब स्टेशन आदि शामिल हैं	2 एकड़ + 10 मीटर x 18 किमी पाइप लाइन कोरिडोर के लिए	2 एकड़ + 10 मीटर x 18 किमी भूमि की पट्टी के अधिग्रहण के बाद

		प्लाट एरिया के बाद अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि पट्टी	पाइप लाइन कोरिडोर परियोजना कार्यान्वित की जाएगी।
(vii)	ईंधन तेल प्राप्ति, भंडारण और हैंडलिंग सिस्टम (पंप, संबद्ध ड्राइव, टैंक सहित)	2.25	2.25
(viii)	डक्टिंग आदि सहित एयर कंडिशनिंग सिस्टम तथावेंटीलेशन सिस्टम	0.5	0.5
(ix)	कंप्रेशर, पाइप, एयर वेजल तथा ड्रायर आदि सहित कंप्रेस्ड एयर सिस्टम	0.75	0.75
(x)	हाइड्रोजन जेनरेशन प्लांट	0.25	0.25
(xi)	वर्कशाप के उपकरण	0.75	0.75
3	विद्युत कार्य :		
(i)	पावर ट्रांसफार्मर जीटी, एसटी, यूएटी एवं आईसीटी (जेनरेटर ट्रांसफार्मर, स्टेशन ट्रांसफार्मर, यूनिट ऑक्स ट्रांसफार्मर तथा इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर आदि)	क्रम संख्या 2 (i) और 3 (ii) में शामिल	क्रम संख्या 2 (i) और 3 (ii) में शामिल
(ii)	शेष संयंत्र के लिए विद्युत उपकरण (ईबीओपी) जिसमें 400 केवी का स्विचयार्ड, स्विच गियर, आइसोलेटर, लाइटनिंग अरेस्टर, प्रोटेक्शन सिस्टम, अर्थिंग, टावर, बसबार गैंट्री, कंडक्टर, इनसुलेटर, केबल, स्काडा सिस्टम, स्टेशन लाइटिंग, प्लांट डीजी सेट आदि शामिल हैं	55	55
(iii)	400 केवी की पारेषण लाइन जिसमें एसईजेड क्षेत्र में विद्युत के पारेषण / वितरण के लिए संबद्ध स्विचगियर के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी / स्टार्टअप पावर तथा इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर के लिए सीटीयू / एसटीयू छोर पर सब स्टेशन बे शामिल हैं	52 मीटर x 100 किलोमीटर की भूमि पट्टी के लिए मार्गाधिकार जो पारेषण लाइनों के लिए प्लाट एरिया के बाद प्राप्त किया जाना है	52 मीटर x 100 किलोमीटर के लिए मार्गाधिकार (भूमि पट्टी की प्राप्ति के बाद पारेषण लाइन निर्मित की जाएगी)।

4.	सिविल कार्य :		
(i)	साइट लेवलिंग तथा ग्रेडिंग का कार्य	600 एकड़	600 एकड़
(ii)	बीटीजी सिविल तथा संरचनात्मक कार्य	क्रम संख्या 2 (i) में शामिल	क्रम संख्या 2 (i) में शामिल
(iii)	बीओपी, विविध एवं गैर संयंत्र बिल्डिंग, लोको शेड आदि के लिए सामान्य सिविल कार्य	संबंधित सिस्टम में शामिल	संबंधित सिस्टम में शामिल
(iv)	चिमनी (स्टैक एलिवेटर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एविएशन लाइटिंग, अर्थिंग आदि सहित)	क्रम संख्या 2 (i) में शामिल	क्रम संख्या 2 (i) में शामिल
(v)	कूलिंग टावर	65	65
(vi)	गेट / स्क्रीन आदि सहित प्लांट वाटर रिजर्वायर	90	90
(vii)	ऐश डाइक तथा ऐश वाटर रिकवरी सिस्टम	216	216
(viii)	रेलवे साइडिंग, तटबंध, पुलों, आरयूबी का निर्माण तथा संबद्ध सिविल कार्य, पी वे वर्क (रेल एवं स्लीपर बिछाना), सिगनलिंग एवं दूरसंचार, लोकोमोटिव का प्रापण	50 मीटर x 25 किलोमीटर की भूमि पट्टी जो रेलवे नेटवर्क के साथ संपर्क के लिए प्लाट एरिया के बाद अधिग्रहीत की जानी है	50 मीटर x 25 किलोमीटर भूमि पट्टी के अधिग्रहण के बाद रेल नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी से संबंधित कार्य पूरा किया जाएगा।
5.	साइट इनेबलिंग वर्क :		
(i)	पोर्टा केबिन, फर्नीचर तथा प्लांट कैंटीन के लिए एयरकंडिशनिंग, बर्तन आदि सहित साइट कार्यालय	5.5	5.5
(ii)	स्टोर तथा स्टील यार्ड	22.5	22.5
(iii)	फील्ड गुणवत्ता आश्वासन लैब, पर्यावरण एवं केमिकल लैब जो उपकरणों से पूर्ण हों	0.2	0.2
(iv)	केबिन सहित रोड तुला सेतु	0.12	0.12
(v)	साइट के लिए डीजी सेट	0.25	0.25
(vi)	लाइटिंग मास्ट (मोबाइल टाइप)	एनए	एनए
(vii)	साइट कार्यालय के लिए विद्युत की व्यवस्था (11 केवी)	0.25	0.25
(viii)	साइट पर 220 केवी की मौजूदा लाइन का डाइवर्जन	7.5	7.5

(ix)	निर्माण पावर सिस्टम, 33/11 केवी के सबस्टेशन तथा एलटी वितरण सिस्टम स्थापित करना	संबंधित सिस्टम में शामिल	संबंधित सिस्टम में शामिल

(xiii) हिंजेवाडी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध [पूरक एजेंडा की मउ संख्या 38.3(ii)]

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने बताया कि प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास करने के लिए विकासक द्वारा अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में आवासीय फ्लैट आदि के लिए प्रस्ताव पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने से पूर्व विकासक प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास करना शुरू करे। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(xii) पनवेल, महाराष्ट्र में बहु सेवा एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध [पूरक एजेंडा की मउ संख्या 38.3(iii)]

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लिखित के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

अधिकृत प्रचालन	**गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (वर्ग मीटर में)**	**अनुमोदित मात्रा** (वर्गमीटर में)
आवासीय अपार्टमेंट (लगभग 1500 यूनिटें)	2,00,790	1,00,395 (गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में)

मद संख्या 38.5 : आईडीए उप्पल औद्योगिक विकास क्षेत्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के अनुमोदन को अभ्यर्पित करने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने आवासीय अपार्टमेंट को छोड़कर अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस करने के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 38.6 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) शेंद्रे औद्योगिक क्षेत्र, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र में फमास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 2 नवंबर, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स वोकहार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) भिवंडी, अलवर जिला, राजस्थान में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड का अनुरोध

(iii) सिकिनानकुप्पम, चेयूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) सिकिनानकुप्पम, चेयूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आटो एंसिलरीज सहित इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) रजोदा गांव, अहमदाबाद जिला, गुजरात में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एनजी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vi) दिघी पोर्ट, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में एफटीडब्ल्यूजेड सहित बहु उत्पाद के लिए एसईजेड आधारित बंदरगाह स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अक्टूबर 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स बालाजी इनफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

(vii) ओगनज गांव, दसक्रोई तालुक, अहमदाबादजिला, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 नवंबर, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स कैलिका कंस्टक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(viii) गांधीधाम का कांडला एवं पूना क्षेत्र, जिला भुज, गुजरात में बहुत उत्पादक आधारित एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 6 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स कांडला पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

(ix) रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स संघी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(x) कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध [पूरक एजेंडा की मद संख्या 38.5(i)]

(xi) द्रोणगिरी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध [पूरक एजेंडा की मद संख्या 38.5(ii)]

(xii) कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध [पूरक एजेंडा की मद संख्या 38.5(iii)]

(xiii) खोपोली, देवनहाले गांव, खालापुर तालुक, रायगड़ जिला, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स उत्तम गल्वा स्टील लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की मद संख्या 38.5(iv)

(xiv) राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8, कुकरोला एवं सेहरेवान गांव, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डीएस रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की मद संख्या 38.5(v)

मद संख्या 38.7 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित मामलों में से प्रत्येक के संबंध में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) कांचीपुरम जिला, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 8 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सिंटेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) हाइटेक सिटी, माधापुर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

(iii) थोटलाकोंडा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 15 जून, 2010 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

(iv) बहादुरपल्ली गांव, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 19 जून 2010 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 38.8 : सह विकासकों की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित सह विकासकों में से प्रत्येक के संबंध में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) कांडला एसईजेड, गुजरात में मैसर्स फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक मैसर्स इंटीग्रेटेड वेयरहाउसिंग कांडला प्रोजेक्ट डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(ii) पुथुव्यपीन, कोचीन, केरल में मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा विकसित बंदरगाह आधारित एसईजेड में सह विकासक मैसर्स पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड का एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

मद संख्या 38.9 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) वालुज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में सेक्टर की ब्राड बैंडिंग / परिवर्तन के लिए मैसर्स बजाज होल्डिंग्स एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि वर्तमान इंजीनियरिंग क्षेत्र में रासायनिक क्षेत्र को शामिल करने से एसईजेड का स्टेटस बदलकर बहु उत्पाद एसईजेड हो जाएगा जिसके लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 1000 हेक्टेयर है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद ब्राड बैंडिंग के लिए विकासक के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

(ii) औरंगाबाद, महाराष्ट्र में क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर जैव प्रौद्योगिकी से बदलकर सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा करने के लिए मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की मद संख्या 38.4(i)

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सेक्टर को "जैव प्रौद्योगिकी" से बदलकर "सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा" करने के लिए मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 38.10 : एसईजेड के क्षेत्रफल एवं सैक्टर में परिवर्तन के लिए अनुरोध

(i) फुरसुंगी हवेली गांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बहु सेवा एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती करने तथा सेक्टर का नाम बदलने के लिए मैसर्स डीएसके एसईजेड प्रोजेक्ट्स (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने कहा कि 13 नवंबर 2009 को विकास आयुक्त, एसईईपीजेड द्वारा प्रस्तावित एसईईजेड की साइट का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान अनेक मुद्दे नोट किए गए जैसे कि एसईजेड की सन्निकटता भंग हो गई है, सिंचाई नहर की मौजूदगी जो उन्नयन के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्माणाधीन है, जिन किसानों ने अपनी जमीनें नहीं बेंची हैं वे यह चिंता

व्यक्त कर रहे हैं कि नहर से मिलने वाला पानी बंद किया जा सकता है, विकासक द्वारा कुंए पर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है, सिंचाई विभाग की सड़क की मौजूदगी, ऐसे निजी प्लाट हैं जो विकासक को नहीं बेंचे गए हैं जिनका मैप में उल्लेख नहीं किया गया है, जिन किसानों ने अपनी जमीनें नहीं बेंची हैं उनकी मौजूदगी को ध्यान में रखे बगैर एसईजेड की चारदीवारी का सीमांकन किया जा रहा है। पुणे के कलेक्टर तथा क्षेत्राधिकारीय तहसीलदार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि विकासक ने संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया था जो राजस्व प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित है परंतु स्पष्ट नहीं है कि क्या इसे नगर नियोजन प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त ने प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की और इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 38.11 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) मुंद्रा एवं अंजार तालुक, कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 5 (2) (ख) के अनुसार बहु उत्पाद के लिए विकास आर्थिक क्षेत्र का संस्पर्शी क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर या अधिक होना चाहिए परंतु 5000 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नियम के तीसरे परंतुक के अनुसार केन्द्र सरकार संस्पर्शी मौजूदा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों को क्लब करने पर विचार कर सकती है, भले ही परिणामी विशेष आर्थिक क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 5000 हेक्टेयर से अधिक हो जाए। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि वर्तमान मामले में एसईजेड की क्लबिंग के कारण एसईजेड का क्षेत्रफल 5000 हेक्टेयर से अधिक है। नोट किया गया कि इस मामले में 2008.41 हेक्टेयर के 4 भूखंडों वाला कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल विभिन्न लोकेशन पर मौजूदा एसईजेड से संस्पर्शी है। चूंकि केवल एसईजेड से होते हुए इन भूखंडों के लिए अक्सेस का प्रावधान किया जाना है इसलिए प्रत्येक भूखंड को स्वतंत्र एसईजेड के रूप में माना जा सकता है जिस पर मौजूदा एसईजेड की क्लबिंग के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार एकीकरण के लिए विचार किया जा सकता है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अनुमोदन बोर्ड द्वारा वर्तमान प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(ii) डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने क्रमश: एसईजेड में 1.76 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि और एसईजेड से 2.27 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 10.22 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में सेवा कर छूट सहित एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है।

(iii) मामिदिपल्ली गांव, सरूरनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स इंदु टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि मैसर्स इंदू टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड के लिए एपीआईआईसी द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख के अनुसार एक विशिष्ट शर्त रखी गई जिसमें कहा गया कि क्रेता उक्त संपत्ति के एसईजेड अंश के विमुक्तीकरण के लिए नहीं कहेगा। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने भी विकासक के अनुरोध की सिफारिश नहीं की है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड से 46.54 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स इंदू टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(iv) झर्सुगुडा, ओडिशा में एल्युमिनियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 185.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित एसईजेड में 35.088 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 220.568 हेक्टेयर हो जाएगा।

(v) मणिकोंडा गांव, राजेन्द्र नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एम्मार हिल्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि उपर्युक्त एसईजेड 10.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 10 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने 3.14 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि के लिए मंजूरी प्रदान की थी, जो अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। वर्तमान प्रस्ताव में विकासक ने 2.95 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 10.52 हेक्टेयर हो जाएगा। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड से 2.95 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स एमार हिल्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि सन्निकटता को बनाए रखना होगा तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि विकासक ने विमुक्त की जा रही भूमि के संबंध में कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, लौटा दिए हैं।

(vi) सत्यावेदु मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्रफल में 0.5010 हेक्टेयर की वृद्धि करके क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(vii) भड़ूच, गुजरात में अधिसूचित एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड से 06.57.84 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण, जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 14.56.34 हेक्टेयर हो जाएगा, के लिए मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंज़ूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि सन्निकटता को बनाए रखना होगा तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि विकासक ने विमुक्त की जा रही भूमि के संबंध में कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, लौटा दिए हैं।

(viii) माधापुर, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सनड्यू प्रापर्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड से 6.16 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण, जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 10.13 हेक्टेयर हो जाएगा, के लिए मैसर्स सनड्यू प्रापर्टी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंज़ूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि सन्निकटता को बनाए रखना होगा तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि विकासक ने विमुक्त की जा रही भूमि के संबंध में कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, लौटा दिए हैं।

(ix) मैसर्स डॉ. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में क्षेत्र को विमुक्त करने के लिए मैसर्स डॉ. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की मद संख्या 38.2(i))

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड से 1.378 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण, जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 22.051 हेक्टेयर हो जाएगा, के लिए मैसर्स डॉ. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंज़ूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि सन्निकटता को बनाए रखना होगा तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि विकासक ने विमुक्त की जा रही भूमि के संबंध में कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, लौटा दिए हैं।

(x) हजीरा, गुजरात में इंजीनियरिंग के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की मद संख्या 38.2(i))

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास आयुक्त, केएसईजेड ने अपनी रिपोर्ट में सूचित किया है कि निर्दिष्ट अधिकारी, एस्सार एसईजेड ने पुष्टि की है कि विकासक तथा 2 एसईजेड यूनिटों ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, जीएसटी तथा स्टांप ड्यूटी के संबंध में प्राप्त किए गए ड्यूटी लाभों का भुगतान किया है। किया गया कुल भुगतान 122.45 करोड़ रुपए है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए 2 एसईजेड यूनिटों को निकास की अंतिम अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा, राजस्व

प्राधिकारियों तथा विकास आयुक्त के बीच संयुक्त बैठक पर विचार किया गया है तथा विकास आयुक्त, केएएसईजेड द्वारा रिपोर्ट भी भेजी गई है। विकास आयुक्त ने बताया है कि राजस्व प्रभाव को कारण बताओ नोटिस जिसमें निर्णयन लंबित है, बांड / बैंक गारंटी के विरुद्ध अनंतिम मूल्यांकन तथा विकासक एवं एसईजेड यूनिटों द्वारा निष्पादित शर्त रहित वचन पत्र जारी करके सुरक्षित किया गया है। अन्य मुद्दे एसईजेड नियमावली एवं अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के निर्वचन से संबंधित हैं जिनका तद्नुसार उपयुक्त ढंग से निराकरण किया गया है और स्पष्ट किया गया है। तद्नुसार, उन्होंने इन दो एसईजेड यूनिटों के संबंध में कुल अधिसूचित क्षेत्रफल से 28.841 हेक्टेयर भूमि के आंशिक विलोपन की सिफारिश की है जिससे शेष क्षेत्रफल 178.5813 हेक्टेयर रह जाएगा। विलोपन के बाद भी एसईजेड का क्षेत्र संस्पर्शी है।

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि वे सीमा शुल्क आयुक्त की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसलिए प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया गया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि बड़े पैमाने पर किए गए निवेश को ध्यान में रखते हुए विकासक को आंशिक विमुक्तीकरण की अनुमति प्रदान की जा सकती है, जिसका इस समय स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है जिससे प्रमोटर्स तथा सरकार के लिए राजस्व क्षति हो रही है। इसके अलावा, आंशिक विमुक्तीकरण के बाद भी एसईजेड में दो और यूनिटें हैं तथा स्वयं एसईजेड को देय राशियों के निस्तारण में किसी अंतर के भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने आंशिक विमुक्तीकरण को मंजूरी प्रदान की तथा निदेश दिया कि विकास आयुक्त केएएसईजेड विमुक्तीकरण के बाद एसईजेड का निरूपण करेंगे और बकाया देयों, यदि कोई हो, के निस्तारण में भी सहायता करेंगे। विमुक्तीकरण के संबंध में आदेश सन्निकटता बनाए रखने के अधीन तथा इस शर्त के अधीन भी जारी किए जाएंगे कि विकासक विमुक्त की जा रही भूमि के संबंध में कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, लौटा दिए हैं तथा संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक प्रमाण पत्र भी रोके गए हैं।

मद संख्या 38.12 : कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि अतिरिक्त भूमि ग्रीन फील्ड पोर्ट की स्थापना के लिए तथा शिपयार्ड के विस्तार के लिए भी है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने शिपयार्ड के विस्तार के लिए प्रस्ताव के साथ ग्रीन फील्ड पोर्ट की स्थापना के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान न करने का निर्णय लिया। पोर्ट के लिए प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अलग से प्रस्तुत किया जा सकता है। जहां तक शिपयार्ड एवं एसईजेड के लिए अतिरिक्त भूमि का संबंध है, अनुसूची में प्रदान किए गए ब्यौरे के अनुसार अनंतिम रूप से 108.03 हेक्टेयर का क्षेत्रफल अनुमोदित किया गया। निरीक्षण के बाद विकास आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद अंतिम आवश्यकता का उल्लेख किया जाएगा।

क्रम संख्या	**क्षेत्र का विवरण**	**हेक्टेयर**		
		पत्तन के लिए क्षेत्र	**शिपयार्ड के अलावा क्षेत्र**	**कुल योग**
1.	लघु पत्तन के लिए राजस्व	126.68	शून्य	126.68

	भूमि			
2.	तटीय भूमि	6.07	25.05	31.12
3.	जल क्षेत्र में जेट्टी के लिए क्षेत्र	46.17	61.12	107.29
4.	तरंग रोध (बीडब्ल्यू) के लिए क्षेत्र • उत्तरी बीडब्ल्यू • दक्षिणी बीडब्ल्यू	-- --	10.93 10.93	21.86
अधिसूचना के लिए कुल अतिरिक्त क्षेत्र		178.92	108.03	286.95
4 दिसंबर, 2009 को पहले से अधिसूचित क्षेत्र		--	317.72	317.72
विस्तार के बाद एसईजेड का कुल क्षेत्रफल		178.92	425.75	604.67

मद संख्या 38.13 : अनुमोदन को वापस लेना

(i) शिमोगा, कर्नाटक में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है क्योंकि कर्नाटक सरकार ने एसईजेड के लिए निर्धारित भूमि पर परिधान पार्क / वस्त्र पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड विकासक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण के अधीन सहमत हुआ कि विकासक ने कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, लौटा दिए हैं जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं।

मद संख्या 38.14 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) त्रिक्कारा उत्तर गांव, कन्याकुमारी तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स टीसीजी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने त्रिक्कारा उत्तर गांव, कन्याकुमारी तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स टीसीजी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित

एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(ii) पनवेल, महाराष्ट्र में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सैनवो रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने पनवेल, महाराष्ट्र में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सैनवो रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(iii) शोलिंगनल्लूर II एवं पेरुंबकम गांव, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड को विमुक्त करने के लिए इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने शोलिंगनल्लूर II एवं पेरुंबकम गांव, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 38.15 : संस्पर्श में छूट

(i) संस्पर्श तथा अनेक प्रवेश / निकास द्वारों के संबंध में एलओए की शर्तों में ढील देने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग (सीबीईसी) के प्रतिनिधि ने बताया कि ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर मुख्य आयुक्त की रिपोर्ट मंगाई गई है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करने के कार्य को आस्थगित कर दिया तथा सीबीईसी को निदेश दिया कि दो सप्ताह के अंदर मुख्य आयुक्त की रिपोर्ट अवश्य प्राप्त कर ली जाए जिसके बाद विकास आयुक्त, एनएमएसईजेड और मुख्य आयुक्त की रिपोर्ट की फाइल पर जांच की जाएगी।

(ii) मैसर्स इफको किसान एसईजेड लिमिटेड (आईकेएसईजेड) द्वारा नेल्लौर जिला, आंध्र प्रदेश में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड की सन्निकटता में छूट के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यद्यपि नेशनल हाइवे (एनएच) द्वारा यह एसईजेड दो भागों में विभाजित है, एसईजेड का प्रसंस्करण क्षेत्र एनएच के एक ओर और गैर प्रसंस्करण दूसरी ओर होगा।

इसके अलावा, 1023 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में से 762 हेक्टेयर जो एनएच के एक ओर है, में प्रसंस्करण क्षेत्र है जो कुल क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत से अधिक है। प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के बीच सन्निकटता स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि एनएचएआई जो एनएच से संबंधित है, से एनएच पर ओवरब्रिज के निर्माण के लिए संपर्क किया गया है। जहां तक प्रसंस्करण क्षेत्र का संबंध है, राजस्व प्राधिकारियों के प्रयोजनार्थ इसे पूरी तरह सुरक्षित किया जा सकता है। इनको ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड माल के मूवमेंट के संबंध में सभी आवश्यक सुरक्षोपाय करने के अधीन एसईजेड के संबंध में सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए राजी हुआ।

अनुमोदन बोर्ड के ध्यान में लाया गया कि औपचारिक अनुमोदन प्रदान करते समय अनुमोदन बोर्ड ने अन्य बातों के साथ यह शर्त लगाई थी कि सन्निकटता स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं होगा। निर्मित किए जा रहे ओवरब्रिज के संबंध में भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए इस प्रावधान की समीक्षा करने की आवश्यकता है। यह नोट करते हुए कि जिस भूमि के अंश के लिए सन्निकटता स्थापित की जा रही है वह भी एसईजेड का अंग है, और इसलिए अन्य समान मामलों की तरह इसको भी लिया जाना चाहिए जहां सन्निकटता स्थापित करने के लिए कर लाभ प्रदान किए गए हैं, अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त को हटाने का निर्णय लिया।

(iii) सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए मैसर्स वेलग्रो बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को यह भी सूचित किया गया कि नीति के अनुसार आईटी / आईटीईएस एसईजेड जिसके लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता मात्र 10 हेक्टेयर है, की सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान नहीं की जा रही है। अनुमोदन बोर्ड को यह भी सूचित किया गया कि आईटी / आईटीईएस एसईजेड की सन्निकटता की शर्त में छूट के लिए अनुरोध को स्वीकार करने से ऐसे अनेक अनुरोध प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सन्निकटता की शर्त में छूट के लिए विकासक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

मद संख्या 38.16 : सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाना

अनुमोदन बोर्ड ने रायगढ़, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की तिथि से अर्थात 07 जनवरी 2010 से दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स रीवा इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 38.17 : एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) एलओपी के पुन: नवीकरण के लिए मैसर्स प्लास्टोलीन पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, फाल्टा एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

यूनिट की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने 28 फरवरी 2010 से 5 साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि यूनिट आग की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतेगी तथा विकास आयुक्त द्वारा

निर्धारित अन्य सुरक्षोपायों को भी लागू करेगी। इसके अलावा, एलओपी आयकर लाभ के संबंध में निर्धारित समय सीमा के भी अधीन है।

मद संख्या 38.18 : महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, चेंगलपट्टू, चेन्नई में आईटी, हार्डवेयर और बायो इनफार्मेटिक्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक असेंडास महिंद्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड में धारित 26 प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने असेंडास महिंद्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने धारित 26 प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 38.19 : 31.49.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में चंडीगढ़, पंजाब में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में मैसर्स इनफोसिस टेक लिमिटेड नामक यूनिट के प्रचालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 25 सितंबर 2009 को अपर सचिव श्री डी के मित्तल की अध्यक्षता में बैठक हुई।

निर्णय लिया गया कि वाणिज्य विभाग एवं राजस्व विभाग के बीच इस मुद्दे पर चर्चा होगी।

मद संख्या 38.20 : एसईजेड ने प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए यूनिट स्थापित करने की नीति पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 38.21 : राज्य अधिनियमों एवं नियमों के तहत विकासक तथा यूनिट को एकल बिंदु क्लियरेंस प्रणाली प्रदान करना

अनुमोदन बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि यह नियम है कि राज्य सरकार इस बात के लिए प्रयास करेगी कि राज्यों में सिंगल प्वाइंट क्लियरेंस सिस्टम उपलब्ध हो परंतु दुर्भाग्य से अनेक राज्यों में सिंगल प्वाइंट क्लियरेंस सिस्टम स्थापित नहीं किया गया है। विकासक और यूनिटों को काफी असुविधा हो रही है क्योंकि उनको राज्यों के कई विभागों से अनुमोदन / क्लियरेंस प्राप्त करना होता है। मुख्य सचिवों के साथ हाल की बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया था तथा उनसे शीघ्रता से ऐसा सिस्टम स्थापित करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों तथा विकास आयुक्तों से इस मामले में संबंधित राज्य सरकारों से आग्रह करने का अनुरोध किया ताकि सिंगल प्वाइंट क्लियरेंस सिस्टम जल्दी से स्थापित हो सके।

मद संख्या 38.22 : मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा गुलवंच, सिन्नार तालुक, नासिक जिला, महाराष्ट्र में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड का संयंत्र की क्षमता 1200 मेगावाट से बढ़ाकर 1350 मेगावाट करने के लिए अनुरोध (पूरक एजेंडा की मद संख्या 38.1)

अनुमोदन बोर्ड के ध्यान में लाया गया कि सह विकासक ने परियोजना के लिए शुरू में 2x600 मेगावाट के कनफिगरेशन की परिकल्पना की थी और तद्नुसार 1200 मेगावाट क्षमता के लिए अनुमोदन प्राप्त किया था। अब उन्होंने कनफिगरेशन को संशोधित करके 5x270 मेगावाट कर दिया है जिससे क्षमता बढ़कर 1350 मेगावाट हो जाएगी। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 5x270 मेगावाट के कनफिगरेशन वाले प्लांट के लिए प्लांट की क्षमता 1200 मेगावाट से बढ़ाकर 1350 मेगावाट करने के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

******